## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

### फर्द अहकाम

**बउनवानी** विनायक सुपर मार्केट, जरिये विनायक मित्तल पुत्र अशोक कुमार जैन राजनगर,स0मा0

**बनाम**

एम.आई.आर. कारपोरेश,58 बाल मंदिर कॉलोनी मानटाउन सवाईमाधोपुर

किस्म प्रकरण– अपील प्रकरण संख्या 01/2021

जीसीएमएस. संख्या 2021/14

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | न/ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ |
|---|---|---|
| 2.4.2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि रेस्पो. द्वारा जारी किया गया नोटिस क्रमांक अन्यकर विज्ञापन/20–21/217 दिनांक 29.9.2020 विधि विरूद्व है क्योकि उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नही दिया गया है। उक्त नोटिस में कार्यालय नगर परिषद सवाईमाधोपुर अंकित किया गया है किन्तु नोटिस पर आयुक्त अथवा अन्य कोई कार्मिक/अधिकारी के हस्ताक्षर नही है ओर ना ही नगर परिषद की सील मोहर लगी हुई है। यह नोटिस साईक्लोस्टाईल टाईप प्रोफार्मा में है जिसमे खाली स्थानो को हाथ से भरा जाकर पूर्ति की गयी है। उक्त नोटिस में सर्वे करने का तथ्य अंकित किया गया है लेकिन कही भी यह अंकित नही है किया कि सर्वे कब व किसके द्वारा किया गया तथा सर्वे के लिए किसको अधिकृत किया गया है ओर किसकी उपस्थिति में सर्वे किया गया है इत्यादि तथ्यो का अंकन नही है। उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व राजस्थान नगर पालिका एक्ट,2009 के प्रावधान,103 व 108 मे वर्णित प्रक्रिया की पालना नही की गयी है। उक्त नोटिस देने से पूर्व साधारण सभा मे संकल्प पारित नही कराया गया ओर ना ही प्रकाशन कराया गया है। इसलिए उक्त नोटिस गलत एवं निराधार होने के कारण खारिज फरमाया जावे।<br><br>वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा पूर्ण जानकारी के अभाव में उक्त अपील राजस्थान नगर पालिका अधिनियम,2009 की धारा 121 के तहत श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी है किन्तु अब कर निर्धारण और उससे संबंधित परिवर्तन के विरूद्व अपील नगर निगम के मामले मे आयुक्त को एवं नगर परिषद व नगर पालिका बोर्ड के मामले में क्षेत्रीय उपनिदेशक को की ही जा सकती है। इस प्रकार वर्तमान में उक्त अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया है।<br><br>वकील उभय पक्षो द्वारा किये गये कथन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर वकील रेस्पो0 का कथन उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम ,2009 की धारा 121 के तहत प्रस्तुत अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार वर्तमान में क्षेत्रीय उपनिदेशक को होने के कारण इस न्यायालय द्वारा सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नही है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इस अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो ... से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Khushaal Yadav<br>Date: 2024.09.24 13:06:00 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(खुशाल यादव)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाईमाधोपुर | |

Scanned with OKEN Scanner